न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 180/2024 निर्णय दिनांकः 28.02.2024
ऑनलाईन नम्बर 2024/373
लीलाधर पुत्र मेघराज जाति ब्राह्मण निवासी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—अप्रार्थी—

उपस्थितिः—

1. श्री पूनमचन्द मारू अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एलआर एक्ट

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी निम्नानुसार निवेदन करता है कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1384/1269 तादादी 0.2500 हैक्टेयर रोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। प्रार्थी ने यह भूमि खसरा नम्बर 1269/563 तादादी 0.5000 हैक्टेयर रोही जैतासर के खातेदार से जरिये विक्रय पत्र खरीद किया था। खरीद करने के बाद प्रार्थी के नाम नामान्तरणकरण दर्ज हुआ। प्रार्थी द्वारा खरीदी गई 0.2500 हैक्टेयर भूमि के खसरा नम्बर 1384/1269 व शेष मूल के खसरा नम्बर 1385/1269 कायम हुये। प्रार्थी के नाम 0.2500 हैक्टेयर भूमि यानि 1 बीघा की खातेदारी है। श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्र में 1 बीघा भूमि में 165X165 फुट जमीन होती है, मौके पर प्रार्थी की जमीन पूरी है, परन्तु प्रार्थी की भूमि का नक्शा में तरमीम करते समय नक्शा की सीमाऐं 165X165 फुट के बजाय उतरी सीमा 164.5 फुट दक्षिणी सीमा 165 फुट, पूर्वी सीमा 157 फुट व पश्चिमी सीमा 156 फुट कर दी गई। नक्शा में प्रार्थी की जमीन कम दर्शाई जाकर नक्शा छोटा कर दिया गया । 1 बीघा में 165X165 कुल 27225 वर्गफुट जमीन होती है, परन्तु जो ऑनलाईन नक्शा बनया गया है, उसमें प्रार्थी के खसरा का क्षेत्रफल 25744.5 वर्गफुट ही होता है। इस प्रकार प्रार्थी के खेत का नक्शा छोटा कर दिया। प्रार्थी के खेत का जो नक्शा एक्स व ऑनलाईन नक्शा है, उसमें प्रार्थी के खेत की उतरी सीमा तो लगभग ठीक दशाई गई है, दक्षिणी सीमा सही दर्शा दी गई, पूर्वी व पश्चिमी सीमा कम दर्शा दी गई। नक्शा एक्स व ऑनलाईन नक्शा सही नहीं होने से प्रार्थी अपनी जमीन का भू—रूपान्तरण नहीं करवा पा रहा है । भू—रूपान्तरण नही होने से प्रार्थी अपनी जमीन का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को नक्शा दुरूस्त करने का कहा तो अप्रार्थी ने पहले तो कर देने का आश्वासन दिया, फिर दिनांक 05.08.2024 को करने से इन्कार करते हुये न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 15:35:02 IST
Reason: SelfAttested

आदेश लाने का कहा। यही प्रार्थना पत्र हेतु है। प्रार्थना पत्र हर तरह से अन्दर मियाद है। प्रार्थना पत्र श्रीमान्‌जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया कर नक्शा एक्स व ऑनलाईन नक्शा में प्रार्थी के खेत की सीमा 165X165 फुट कर नक्शा दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को दिया जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 1384/1269 तादादी 0.2500 हैक्टेयर रोही जैतासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ का नक्शा एक्स व ऑनलाईन नक्शा पैरोकारराज द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार तरमीम कर दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 18.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(उमा मित्तल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.03.24 15:35:02 IST
Reason: SelfAttested